हिंदू शोभायात्रा में मंगल कलश यात्रा 30 मार्च को, भगवा युवा वाहनी सहित अनेकों आकर्षण रहेंगे

■ सेवन वंडर पार्क में स्वदेशी मेला आज

कोटा, (निसं)। हिंदू नववर्ष उत्सव आयोजन समिति की ओर से भारतीय नववर्ष पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सेवन वंडर पार्क में स्वदेशी मेला लगेगा एवं 30 मार्च रविवार को विशाल कलश यात्रा निकाली जायेगी। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने दी।

उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ चैत्र शुक्ला एकम वर्ष प्रतिपदा पर कोटा महानगर में एक दिव्य नवाचार किया जा रहा है। सर्व हिंदू समाज के इस निर्णय को साकार भव्य स्वरूप देने ने समिति युद्धस्तर पर तैयारियो में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में 30 मार्च रविवार को दोपहर 12 बजे से दशहरा मैदान से हिंदू शोभायात्रा, मंगल कलश यात्रा, भगवा वाहनी सहित शंखध्वनि के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अग्रवाल नें बताया कि शोभायात्रा मार्ग दशहरा मैदान से सीएडी चौराहा होते हुए दादाबाड़ी छोटा चौराहा, बसंत विहार, तीनबत्ती सर्किल से होते हुए जीएडी सर्किल होते हुए, श्रीनाथपुरम स्टेडियम पहुंचेगी। श्रीनाथपुरम में यह शोभा यात्रा विशाल हिंदू धर्म सभा में बदल जाएगी। जिसे ध्यान योगी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज, साध्वी सत्यप्रिया दीदी सहित संत संबोधित करेंगे।

30 मार्च को दशहरा मैदान पर 11 बजे से कलश वितरण प्रारंभ हो जायेगा।

हिन्दू नववर्ष पर आयोजन समिति ने पोस्टर का विमोचन किया।

अग्रवाल नें बताया कि हिन्दू शोभायात्रा न केवल विराट होगी बल्कि इसमें विविध दर्शनीय आयोजन होंगे, संतों की बग्गघी सवारी, महिलाओं की 51 हजार कलशों के साथ ऐतिहासिक उपस्थिति होगी। समिति के महामंत्री छगन माहुर ने बताया कि हिंदू नववर्ष के कार्यक्रमों को भव्य और दिव्य स्वरूप में आयोजित करने हेतु कोटा महानगर समिति के अतिरिक्त 12 नगर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिन्होंने निरंतर परिश्रम करके आयोजन को विराट बनाने का संकल्प लिया हुआ हैं। स्वदेशी मेला समिति के संयोजक किशन पाठक ने बताया कि हिंदू नववर्ष पर कुछ वर्षों से एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी 28 मार्च को सायं 4 बजे से सेवन वंडर्स पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया जो रात्रि 11 बजे तक चलेगा।

स्वदेशी मेले का उद्घाटन 28 मार्च को शाम 4 बजे सेवन वंडर्स पार्क पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र द्विवेदी द्वारा किया जाएगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, संत गण, हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर के पदाधिकारी सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे उन्होंने बताया कि स्वदेशी मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारे त्योहार आयोजित करना है भारतीय सनातन संस्कृति में वर्ष प्रतिपदा का विशेष महत्व है इसके साथ ही मेले के माध्यम से हमारी स्थानीय संस्कृति एवं कला की जानकारी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु भी विशेष प्रयास किए गए हैं, मेले में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न समाजों की ओर से व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, स्वदेशी उत्पादों के महत्व को बढ़ावा देने हेतु बड़े स्तर पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारतीय साहित्य के स्टॉल लगाए जाएंगे, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन इस मेले के दौरान किया जाएगा इस मौके पर समाजसेवी अजयसिंह, समाजसेवी श्याम बिहारी नागर, अध्यक्ष गोविन्द नारायण अग्रवाल, महामंत्री छगन माहुर, शोभायात्रा संयोजक सत्यनारायण श्रीवास्तव, डा बाबूलाल भाट, लोकेन्द्र सिंह राजावत, सह संयोजक मुकट नागर, कोषाध्यक्ष रामकुमार मेहता, मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया, सह-संयोजक हुकूमत सिंह झाला, सोसल मीडिया संयोजक रणजीत सिंह राणा आदि प्रमुखरूप से मौजूद रहे।

प्रशासक ने अतिक्रमण को लेकर निर्देश दिए

छबड़ा (निसं)। एसडीएम रामसिंह गुर्जर प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देशित किया। वहीं, मुख्य बाजार में सडक पर बैठे हुये सब्जी, फल, एवं फुटकर विक्रेताओ को हटाने के निर्देश दिए एवं पालिका क्षेत्र में बिना निर्माण स्वीकृति के चल रहे अवैध निर्माण को रोकने का निर्णय लिया गया। एसडीएम ने बताया कि धरनावदा चौराहे से आजाद सर्किल तक के सब्जी एवं फल विक्रेताओ के लिए पूर्व में बनी हुई इन्द्रा कालोनी सब्जीमण्डी में शिफ्ट किये जाने का निर्णय लिया गया एवं धरनावदा चौराहा, स्टेशन रोड एवं धरनावदा रोड के लोगो के लिए मीणा एवं साहू समाज की धर्मशाला के पीछे सब्जी एवं फल विक्रेताओ को शिफ्ट करने, सालपुरा बस स्टेण्ड के पीछे स्थित नगरपालिका भूमि पर भी अहिंसा सर्किल से बस स्टेण्ड तक बैठे सब्जी एवं फल विक्रेताओ को शिफ्ट करने, नई नगरपालिका भवन के पास खाली पडी नगरपालिका भूमि पर भी सब्जी विक्रेताओ को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया।

मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को 12 साल की सजा सुनाई

■ अवैध मादक पदार्थ 300 ग्राम हेरोईन जब्त की थी

कोटा, (निसं)। मादक पदार्थ की तस्करी के दो साल पुराने मामले में एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश ने केन्द्रीय नारकोटिक्स टीम की कार्यवाही में मादक पदार्थ हेरोईन सहित पकड़े गये आरोपी भगवान सिंह को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई साथ ही डेढ़ लाख के अर्थ दंड से दंडित किया। सीबीएन के विशिष्ट लोक अभियोजक आशीष अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने 6 मार्च 2023 को मुखबीर की सूचना पर मंडाना टोल टेक्स के समीप प्राईवेट लोक परिवहन बस में कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 300 ग्राम हेरोईन सहित जिला झालावाड़ ग्राम पालखड़ा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा टीम ने मामले में अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में चली सुनवाई के दौरान एनडीपीएस न्यायालय ने मादक पदार्थ हेरोईन सहित पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जैन आचार्य ने एक करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया

■ आचार्य शांतिसागर सभागृह का उद्घाटन

भवानीमंडी, (निसं)। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि दान देना भी वैयावृत्ति है, जिसे आहार की जरूरत है उसे आहार देना सेवा है जिसे ज्ञान की जरूरत है उसे ज्ञान देना सेवा है जिसे जान की जरूरत है उसे जान देना वैयावृति है। आहार-दान, औषध-दान, अवध-दान, ज्ञान-दान यह चार प्रकार के दान बताए गए हैं। समय पर दिया गया दान वैयावृत्ति कहलाता है समय निकालने के बाद दिया गया दान किसी काम का नहीं रहता।

यह बात आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज द्वारा राधेश्याम बगीची में आयोजित मंगल देशना में कही गई। जिसकी पश्चात आचार्य द्वारा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर महाराज सभागृह का उद्घाटन किया गया। जिसे पश्चात संघ की आहारचार्य हुई। वही सायंकालीन आयोजित आनंद यात्रा में बताया कि आज के समय में चाहे महिला हो या पुरुष अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते इसके कारण उनके शरीर के पुर्जे ही काम कर बंद कर देते हैं। पुराने समय में महिलाएं गर्भावस्था के समय भी कड़ी मेहनत करती थी जिसके चलते उन्हें बेड रेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी आज के समय में तो गर्भावस्था धारण करते ही महिलाएं बेड रेस्ट पर चली जाती है जिसके चलते सिजेरियन डिलीवरी की नौबत आ जाती है।

महाराज ने बताया कि जब से हमने यह दिगंबर रूपी वस्त्र धारण किया है किसी और वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी एक दिगंबर संत के लिए दिशाएं ही उनके कपड़े, धरती ही उनका बिछौना और आकाश ही उनका चादर होता है। साथ ही पर्यावरण के महत्व को बताते हुए कहा कि आज के समय में पेड़ लगाना काफी आवश्यक हो चुका है एक सर्वे के अनुसार धरती को 400 से 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है जिसके लिए उनके द्वारा एक करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हम पूरे जीवन तो पेड़ों से काम लेते ही हैं वही मरते समय भी एक पेड़ की आहुति दे देते हैं जिसके चलते महाराज द्वारा सभी से इस वर्ष कम से कम अपने विभिन्न उपलक्ष्यों पर कम से कम 25 पेड़ लगाने का आव्हान किया गया।

इसके पश्चात सभी लोगों द्वारा सैकड़ों दीपकों से महाराज की महाआरती की गई। इस दौरान गरोठ विधानसभा विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, डग विधानसभा पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल, राधेश्याम मंदिर ट्रस्टी केके राठी, राजेश नाहर, ऋषभ जैन, विजय जैन जूली, आलोक जैन, अविनाश जैन, संजय पाटनी, अमित पाटनी, सुगना गुर्जर, पिंकी गुर्जर, संगीता पाटनी, ज्योति जैन, सुनीता पाटनी सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। वही समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि शुक्रवार सुबह 5.30 बजे महाराज गरोङ्ग की ओर विहार करेंगे, जिसकी पश्चात आहार चर्या सरकनिया में व रात्रि विश्राम ढाकनी में रहेगा।

वनकर्मियों पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर वनकर्मियों पर हमला करने के मामले में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 23 मार्च को फरियादी बुलबुल कंवर हाल वनपाल नाका नयागांव किशोरपुरा जेटी रेंज बोराबास मुकंदरा ने थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उप वन संरक्षक मुकंदरा राष्ट्रीय उघान के नेतृत्व में टीम हैंगिग ब्रिज की तरफ चम्बल नदी में गश्त के लिये रवाना हुए।

फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि गश्त के दौरान हजीरा बस्ती से चम्बल नदी की तरफ देखा तो चम्बल नदी में तीन लोग दादाबाड़ी निवासी शाहरूख, हजीरा बस्ती निवासी सलमान व एक अन्य जो नाव के सहारे चम्बल नदी में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे।

फरियादी ने कहा कि वन विभाग की टीम को अपनी ओर आता देख तीनों नाव से हजीरा बस्ती की ओर भागने लगे, टीम ने जब पीछा कर शाहरूख को पकड़ लिया जिस पर वह चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर मौके पर हजीरा बस्ती के कुछ लोग एकत्र हो गये और टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमे स्टॉफ बुलबुल कंवर के सिर मे पत्थर लगा और खून बहने लगा। फरियादी ने कहा कि पत्थरबाजी करते हुए भीड़ पकड़े गये आरोपी शारूख को छुड़ा कर ले गयी।

थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्यवाही करते हुए दादाबाड़ी निवासी हुसैन उर्फ शाहरूख (25) एवं शिवपुरा निवासी सलमान (30) को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी हैं।

अन्त्योदय कल्याण समारोह में सहायक उपकरणों का वितरण

■ दिव्यांगजनों के सम्मान और सशक्तिकरण की नई पहल

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी संकल्प के तहत गुरुवार को प्रदेशभर में अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में हुआ, जिसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया गया। कोटा में जिला स्तरीय समारोह सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को सरल, सुगम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आयोजित अन्तोदय कल्याण समारोह के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। यह आयोजन कृषि प्रबंधन केंद्र सियाम ऑडिटोरियम में गुरुवार को आयोजित किया गया, जहां जिले के 21 दिव्यांगजनों को उनकी पात्रता के अनुसार विभिन्न उपकरण प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दृष्टिकोण समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का है, जिसमें दिव्यांगजन भी समान अधिकारों और अवसरों के हकदार हैं। उनका मानना है कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी दैनिक जरूरतों को सहज बनाने के लिए सरकार की योजनाएं सिर्फ औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें मानवीय संवेदना झलकनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार ने बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत यह योजना क्रियान्वित की है, ताकि जरूरतमंद दिव्यांगजनों को समय पर आवश्यक सहायक उपकरण मिल सकें। कार्यक्रम में कुल 21 दिव्यांगजनों को उनके आवेदन और पात्रता के आधार पर विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें चार ट्राइसाइकिल, एक व्हीलचेयर, चार बैसाखी, तीन छड़ी, एक नेत्रहीन दिव्यांग को स्मार्ट मोबाइल, पांच दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र और तीन दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान किए गए।

प्रदेश सरकार का यह प्रयास दर्शाता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार और जीवनयापन से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज में समानता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देहात प्रेमचंद गोचर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया, लाडपुरा खंड विकास अधिकारी शैलेश रंजन, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक भी उपस्थित रहे।

अन्त्योदय कार्यक्रम में जिला परिषद की ओर से स्वामित्व योजना में 100 पट्टे का वितरण किया गया। राजस्थान दिवस पर आयोजित हो रहे साप्ताहिक महोत्सव की कड़ी में 29 मार्च को श्रीराम रंगमंच दशहरा मैदान कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 7 हजार नियुक्ति पत्रों का वितरण एवं जिला मुख्यालय पर रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट शिविर होंगे।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री तीरथ सिंह एवं श्रीमती तेजेन्द्र कौर पत्नी श्री तलविन्दर सिंह द्वारा उनके स्वामित्व के आवास संख्या 882 शास्त्री नगर दादाबाड़ी (एलआईजीएच) कोटा (राज.) क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है को डी.सी.बी.बैंक लिमिटेड शाखा कोटा में रहन रख ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति श्रीमती कमलजीत कौर एवं श्रीमती तेजेन्द्र कौर को श्री तीरथ सिंह एवं श्री तलविन्दर सिंह से जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र प्राप्त हुई है। उक्त दान पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक कोटा के यहां दिनांक 13.07.2020 को क्रम संख्या 202003127101623 पर हो रहा है। वर्तमान में उक्त सम्पत्ति बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रहन चल रही है।

यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन कर ऋण देने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 5 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय
कमल गुप्ता एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय कोटा
मो. 9414288889

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी भोला प्रसाद गुप्ता की खरीदशुदा सम्पत्ति आवास सं. 2-सी-30 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा में स्थित है। श्रीमती मुन्नी देवी के द्वारा एचडीएफसी लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेजात एचडीएफसी बैंक लि. में रहन कर रखे है। श्रीमती मुन्नी देवी का दिनांक 27.11.24 को देहान्त हो चुका है, श्रीमती मुन्नी देवी के पति भोला प्रसाद गुप्ता ने जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. श्रीमती मुन्नी देवी के लक्ष्मी गुप्ता, पुनीता गुप्ता व पूजा गुप्ता ही विधिक वारिसान है, इनके अतिरिक्त ओर अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. श्रीमती मुन्नी देवी के पति भोला प्रसाद गुप्ता उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहते है। यदि इस संबंध में किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता या एचडीएफसी बैंक लि. शाखा विज्ञान नगर कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।

दिनांक : 26.03.2025
संदीप जैन एडवोकेट
583-ए तलवण्डी, कोटा
मो. 9829180432

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 26/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री लक्ष्मण सिंह गोचर पुत्र श्री किशनलाल निवासी मानपुरा तह लाडपुरा जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "मन्दिर श्री रामचन्द्र जी" विराजमान देह वाके ग्राम मानपुरा तह लाडपुरा जिला कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रकिया अनुसार से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 26.3.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 27.05.2025

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

पश्चिम मध्य रेल

सिविल इन्जीनियरिंग ▪ ई-निविदा सूचना ▪ सं. डब्ल्यू/623/15, दिनांक 25.03.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), पश्चिम मध्य रेल, कोटा,** निम्नलिखित कार्यों के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है। **टेण्डर संख्या 30/2025:-** कार्य का विवरण: एडीईएन/शामगढ़ सेक्शन - मिसलेनियस पी.वे रिपेयरस एण्ड़ मेंटेनेन्स ऑफ ट्रेक वर्क। अनुमानित लागत: ₹ 72,22,240.60. बयाना राशि: ₹ 1,44,500/-. **टेण्डर संख्या 31/2025:-** कार्य का विवरण: रिपेयर्स एण्ड़ मेंटेनेन्स ऑफ बाउण्ड्री वॉल/फेन्सिंग ऑफ हाई स्पीड़ रुट नागदा-मथुरा सेक्शन फॉर 3 ईयर एट सीनियर ड़ीईएन/साउथ सेक्शन इन कोटा डिविजन। अनुमानित लागत: ₹ 6,87,61,856.94. बयाना राशि: ₹ 4,93,800/-. **टेण्डर संख्या 32/2025:-** कार्य का विवरण: एडीईएन/रामगंजमंड़ी सेक्शन - मिसलेनियस पी. वे रिपेयरस एण्ड़ मेंन्टेनेन्स ऑफ ट्रैक वर्क। अनुमानित लागत: ₹ 75,22,891.07. बयाना राशि: ₹ 1,50,500/-. **टेण्डर संख्या 33/2025:-** कार्य का विवरण: कोटा:- इम्प्रूवमेंट इन मेंटेनेन्स फसिलिटी ऑफ फ्रेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कोटा ड़िविजन। अनुमानित लागत: ₹ 2,11,79,812.86. बयाना राशि: ₹ 2,55,900/-. **टेण्डर संख्या 34/2025:-** कार्य का विवरण: कोटा - रुठियाई सेक्शन: रिपेयर्स, मेंटेनेन्स एण्ड़ क्लिनिंग ऑफ अण्डर ग्राउंड़ सिवेज पाइप लाइन, मेनहोल ड़गवेल एण्ड़ सेप्टिक टैंक ओपन ड्रेन इन जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन/बारां फॉर 2 ईयरस। अनुमानित लागत: ₹ 6,19,869.25. बयाना राशि: ₹ 12,400/-. **टेण्डर संख्या 35/2025:-** कार्य का विवरण: कोटा:- इम्प्रूवमेंट ऑफ रेलवे स्टेडियम कोटा। अनुमानित लागत: ₹ 1,34,95,400.83. बयाना राशि: ₹ 2,17,500/-. **टेण्डर संख्या 36/2025:-** कार्य का विवरण: कोटा:- एक्सटेंन्सन ऑफ एआरटी शेड, कन्सट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्ड़िग एण्ड़ आर्ग्मेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआरटी/एआरएमवी ऑफ कोटा ड़िविजन। अनुमानित लागत: ₹ 1,18,09,630.95. बयाना राशि: ₹ 2,09,100/-.

टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:- टेण्डर संख्या 30/2025 से 35/2025 के लिए: 11.04.2025 को 15.30 बजे एवं टेण्डर संख्या 36/2025 के लिए: 14.04.2025 को 15.30 बजे। **उपरोक्त सभी निविदाओं के लिए:-** पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड़ की गई ई-निविदा में तथा वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), पश्चिम मध्य रेल, कोटा, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय की कार्यलेखा शाखा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान - एक कदम स्वच्छता की ओर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2(ए), रोड़ नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स तन्मय ध्याता स्टील कॉनकास्ट लिमिटेड, ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Proposed Expansion of existing rolling plant from 200 TPD (MS Billets/TMT Bars 160 TPD & Wire Rod-40 TPD) to 500 TPD (MS Billets/TMT Bars460 TPD & Wire Rod-40 TPD) and expansion in plot area from 46200 Sq.m to 62900 Sq.m located at Khasra No. 360, 361, 362, 1848/1759, 1759/587, 364/1, 356, 357, 358, and 359, Village Mandana, Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, मैसर्स तन्मय ध्याता स्टील कॉनकास्ट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा Proposed Expansion of existing rolling plant from 200 TPD (MS Billets/TMT Bars-160 TPD & Wire Rod-40 TPD) to 500 TPD (MS Billets/TMT Bars-460 TPD & Wire Rod-40 TPD) and expansion in plot area from 46200 Sq.m to 62900 Sq.m located at Khasra No. 360, 361, 362, 1848/1759, 1759/587, 364/1, 356, 357, 358 and 359, Village Mandana, Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं :-
(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
(9) कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
(10) कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डाना पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील- लाडपुरा, जिला-कोटा।

अत: सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.04.2025** को **"उप तहसील मण्डाना परिसर"** तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में समय प्रात: 11:00 बजे, उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(योग्यता सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कू.भू.रू./2025/3823 **विज्ञप्ति** दिनांक:-27.03.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी में स्थित कृषि भूमि योजना भारत विहार खसरा नं. 31, 32, 33 में स्थित भूखंड संख्या 10 व 11-ए आवेदक/आवेदिका श्रीमती अनसूया भारद्वाज पत्नी श्री प्रशांत भारद्वाज निवासी सुरपिन होटल के पास कोटा जंक्शन कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 11701 दिनांक 31.03.20212 को श्री श्याम किशोर शर्मा पुत्र श्री कालीचरण शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड संख्या 10 व 11 का उप विभाजन आदेश क्रमांक KDA/FY24-25/SRA/35 दिनांक 18.02.2025 से भूखंड संख्या 10 व 11-ए क्षेत्रफल 1187.50 वर्गफुट व भूखंड संख्या 10 व 11-बी क्षेत्रफल 1306.25 वर्गफुट के रुप में किया गया है। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 02.02.2025 एवं पत्नी कुसुम देवी की मृत्यु दिनांक 13.07.2017 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में भूखंड संख्या 10 व 11 नोटेरीशुद्धा वसीयतनामा दिनांक 20.01.2025 से आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती अनसूया भारद्वाज पत्नी श्री प्रशांत भारद्वाज के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।